



Social

बौद्धिक सम्पदा और बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ

ओमपाल सिंह (शोध छात्र)^१, डा० हेमेन्द्र सिंह^२

समाजशास्त्र विभाग, कॉ.जी.कॉ. महाविद्यालय (स्नातकोत्तर), मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

शिक्षा मानव जीवन का श्रृंगार है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति एक विशिष्ट व्यक्तित्व को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। अनेक बार अशिक्षित व्यक्ति भी प्रभावशील होता है, परन्तु, शिक्षा के अभाव में वह मुख्य रूप से अपने परिवेश से ही अधिकतम जुड़ा हुआ रहता है जिस के कारण वह अपनी उन विशिष्टताओं को व्यापक रूप प्रदान करने में प्रायः अक्षम रहता है जिन से कि वह सम्पूर्ण भारतीय और विदेशी नागरिकों को लाभ पहुँचा सके। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य यह संकेत करता है कि वह देश वैश्विक धरातल पर टिका नहीं रह सकता जिस के नागरिक शिक्षा से वंचित हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिस के कारण भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग समान रूप से विकसित नहीं हो रहा है। अनेक शासकीय योजनाओं के पश्चात भी बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ पूर्ववत ही हैं और भारतीय बौद्धिक सम्पदा में कमी हो रही है।

मुख्य शब्द – बौद्धिक सम्पदा, पारिस्थिकी, शैक्षणिक अरुचि, धनाभाव, बालश्रम, हस्त-कौशल, लैंगिक दुर्व्यवहार, भेदभाव, निर्धनता उन्मूलन, शारीरिक प्रताड़ना

Cite This Article: ओमपाल सिंह, डा० हेमेन्द्र सिंह. (2018). “बौद्धिक सम्पदा और बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ.” *International Journal of Research - Granthaalayah*, 6(9), 332-339. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1443513>.

प्रस्तावना

शिक्षा वह मानसिक प्रयास है जिस को करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन सम्भव हो जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आचार-व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह समाज में एक आदर्शात्मक विचारधारा स्थापित करने में सफल होता है तथा देश की उन्नति में सहायक होता है; जैसे – बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से देश-विदेश में अनेक मानदण्ड स्थापित किये और देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरोए रखने में सक्षम सम्बिधान की रचना में सहायक हुए। इस ही प्रकार महात्मा गान्धी और सुभाष चन्द्र बोस ने शिक्षा से परिमार्जित व्यक्तित्व के माध्यम से भारत को अंग्रेजों से स्वतन्त्रता प्राप्त की। इस ही प्रकार विश्व में अनेक उदाहरण हैं जिन के माध्यम से उन के देश को ही नहीं, वरन् विश्व को लाभ प्राप्त हुआ है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में किसी घटना अथवा तत्त्व को समझने की योग्यता उत्पन्न होती है और वह अनुमानात्मक दृष्टिकोण के आधार पर उस का विश्लेषण करने में अधिकांशतः सफल होता है। इस अनुमानात्मक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति समाज, देश और विश्व को एक नवीन और उपयोगी दिशा प्रदान करने में सक्षम होता है। इस से विश्व में उस व्यक्ति और उस के देश का सम्मान स्थापित होता है।

शिक्षा का साधारण अर्थ है – ‘अर्थ के अर्जन में सहायक शिक्षा’; अर्थात् ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को किसी कार्य विशेष में निपुणता प्रदान करे और वह निपुणता अर्थ के अर्जन में सहायक हो, शिक्षा कहलाती है। प्रायः इस ही प्रकार की शिक्षा सम्पूर्ण विश्व में प्रदान की जा रही है।

शिक्षा क्षेत्र में अपनी चयनित विधा में पूर्णता प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को ही बौद्धिक सम्पदा में सम्मिलित किया जाता है।

डा० मंजूर अहमद मंसूरी के शोध पत्र “भारतीय लोकतन्त्र में सुशासन हेतु भ्रष्टाचार निवारण अपरिहार्य – एक विधिक अध्ययन” (२०१८) के अनुसार – भारतीय समाज के सुशासन को सुदृढ़ करने के लिये भ्रष्टाचार के निवारण का प्रयास अत्यावश्यक है। इस ही प्रकार बर्सेल जेनिफर ने भी अपने शोध पत्र “भ्रष्टाचार, प्रौद्योगिकी और सुधार : राज्यों का मिला–जुला दृष्टिकोण” (२०१२) में भ्रष्टाचार और सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया है।

इरशाद खान ने अपने शोध पत्र “पहाड़ी कोरवा जनजाति में शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएँ” (२०१७) में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की कुल पहाड़ी कोरवा जनजाति की जनसंख्या का ५६.९० प्रतिशत साक्षर होने का उल्लेख किया है जब कि छत्तीसगढ़ राज्य की कुल साक्षरता ७०.७८ प्रतिशत बतायी है। आप ने चिन्ता व्यक्त करते हुए लिखा है कि पहाड़ी आदिम जनजाति की साक्षरता दर से कम है।

इस ही प्रकार विभिन्न तिथियों पर प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित शिक्षा और विद्यार्थियों से सम्बन्धित अनेक समाचारों ने मेरे हृदय को ‘किंकर्तव्यविमूढ़’ कर दिया और देशहित में बौद्धिक सम्पदा और बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने पर विवश किया। समाचारों में उल्लेखित बाल मजदूरी, पोषाहार छूने पर छात्रा को विद्यालय से निकालाना, विद्यालय के जर्जर भवन, सरकार की योजना के अन्तर्गत पुस्तकों का आबण्टन, बच्चों की शारीरिक प्रताड़ना, विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात, बच्चों के अधिकार, पोषाहार, छात्रवृत्ति, ‘ट्यूशन’ आदि जैसे जलन्त विषय हमारे मस्तिष्क पर भार आरोपित करते हैं कि भारतीय समाज में व्याप्त ऐसी समस्याओं के रहते हुए भारतीय समाज को ‘बौद्धिक सम्पदा’ के रूप में विकसित किया जा सकता है?

अध्ययन का उद्देश्य – अनेक वैशिक स्तर की पत्रिकाओं के अनुसार वर्तमान भारत में वैशिक आधार पर तुलनात्मक रूप से बौद्धिक सम्पदा में कमी का आभास किया जा रहा है। इस ही कारण ‘बौद्धिक सम्पदा में कमी के आभास’ के अनुसन्धान हेतु यह अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की उन वर्तमान समस्याओं को ज्ञात करना है, जिन के कारण भारत की बौद्धिक सम्पदा में निरन्तर कमी हो रही है।

शोध समस्या – बच्चे ही देश का भविष्य हैं और बच्चे ही देश के भविष्य की बौद्धिक सम्पदा हैं। यह आवश्यक नहीं है किसी निश्चित वर्ग का बच्चा ही देश की बौद्धिक सम्पदा में स्वयं को स्थापित कर सकता है। वास्तविकता यह है कि निम्न और निर्धन परिवारों के बच्चों ने भी शिक्षा प्राप्त करके वैशिक क्षितिज पर भारत को प्रकाशित किया है। परन्तु, वर्तमान परिवृश्य में, इस बौद्धिक सम्पदा में कमी का आभास किया जा रहा है; क्यों कि, अनेक कारणों से बच्चे शिक्षा से वंचित हैं अथवा बच्चे शिक्षा को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं।

अध्ययन के लक्ष्य – इस अध्ययन में तीन प्रकार के द्वितीयक तत्त्वों का उपयोग किया गया है; जिन में, जर्नल में प्रकाशित शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न शोधपत्र, मुद्रित समाचार पत्रों और ‘इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र’ के समाचार सम्मिलित हैं।

शोध की पद्धति – प्रस्तुत अनुसंधान आनुभवात्मक है और अवलोकन विधि पर आधारित है। इस शोधकार्य को पूर्णतः वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मुरादाबाद महानगर के तीन उपक्षेत्रों – १. शास्त्री नगर २. फकीरपुरा और ३. लक्ष्मणपुरी का अवलोकन किया गया है। इस शोधकार्य को पूर्णतः नियन्त्रित और वस्तुनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से इस अध्ययन में विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है, जिस से कि इस अध्ययन द्वारा बौद्धिक सम्पदा में अभाव उत्पन्न करने वाली वर्तमान अधिकतम समस्याओं को ज्ञात किया जा सके।

शोध परिकल्पना – “अविभावकों की अरुचि, प्रशासन के भ्रष्टाचार और शैक्षणिक तथा लैंगिक दुर्व्यवहार आदि से देश की बौद्धिक सम्पदा में अभाव उत्पन्न होता है”

अध्ययन की महत्ता और आवश्यकता – यह अनुभव किया जाता है कि ‘शिक्षा’ मानव को ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम स्थान की प्राप्ति में अत्यधिक सहायक है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति को ‘मानसिक नेत्र’ प्राप्त होता है और इस ही मानसिक नेत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी पारिस्थितिकी के अतिरिक्त इहलोक, परलोक और अलौकिक शक्तियों के विषय में अनेक तत्त्वों से अवगत हो जाता है, इस का प्रमाण अनेक धर्मग्रन्थ हैं। यदि धर्मग्रन्थों पर विचार नहीं भी किया जाए, तब भी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि उन्नतियाँ और व्यक्तित्व का परिमार्जन होते हुए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में उच्चतम मानवीय मूल्यों का प्रादुर्भाव होना सम्भव है और इन्हीं उच्चतम मानवीय मूल्यों के बल पर व्यक्ति समाज, देश और विश्व में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने में सक्षम होता है।

निर्धन बच्चों से सम्बन्धित समस्याएँ –

- **पारिस्थितिकी और शैक्षणिक अरुचि** – शोधकर्ता श्रीमति मीना सक्सेना ने अपने शोध-प्रबन्ध की रूपरेखा “नगरीय परिवेश में कामगार बच्चों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन”^{०९} में नगरीय परिवेश में रहने वाले कामगार बच्चों की समस्याओं का बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रायः निर्धन परिवार सघन और दरिद्र बस्तियों के निवासी होते हैं; अतः, समय मिलने पर और प्रायः प्रतिदिन अपनी दैनिक गतिविधियों पर विचार प्रगट करते हैं। वे प्रायः अपने बच्चों की शिक्षा के विषय में भी अपने विचार विचार प्रगट करते हैं। उन में से अधिकांश व्यक्ति अपनी पारीवारिक निर्धनता को समाप्त करने के लिये अपने बच्चे को ‘हाथ का धनी’ बनाने पर अधिक बल देते हैं और उन में से भी अधिकांश व्यक्ति शिक्षा पर समय और धन ‘नष्ट’ करने को ‘मूर्खता’ समझते हैं। परिणामस्वरूप, अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
- **धनाभाव** – शोधकर्ता श्रीमति मीना सक्सेना ने अपने शोध-प्रबन्ध की रूपरेखा “नगरीय परिवेश में कामगार बच्चों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन”^{०९} में नगरीय परिवेश में रहने वाले कामगार बच्चों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि निर्धन व्यक्तियों के बच्चे धनाभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारतीय समाज का अधिकांश भाग इकीसर्वीं शताब्दी में भी निर्धन है। विभिन्न शोधों और पत्रिकाओं के अनुसार – सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन का प्रयास किया गया है; परन्तु, सरकारी तन्त्र की उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जुलाई २०१८, २०१८ को प्रकाशित दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी के संस्करण के पृष्ठ संख्या – ०७ के शीर्षक “पढ़ने-लिखने की उम्र में बाल मजदूरी”^{०१} के समाचार के अनुसार – छोटे बच्चे उदर-पूर्ति के लिये ‘रिक्शा’ चलाने के लिये विवश हैं।
- **बालश्रम** – शोधकर्ता श्रीमति मीना सक्सेना ने अपने शोध-प्रबन्ध की रूपरेखा “नगरीय परिवेश में कामगार बच्चों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन”^{०९} में नगरीय परिवेश में रहने वाले कामगार

बच्चों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि निर्धन परिवारों के बच्चे मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धनार्जन हेतु अपने माता, पिता अथवा अविभावक के अनेक कार्यों में अपना योगदान देते हैं, जिस के कारण, उन के पास शिक्षा हेतु समय शेष नहीं रहता है और वे शिक्षा जैसे धन से वंचित रह जाते हैं ।

- **कुपोषण** :— इलेक्ट्रॉनिक बेव साइट 'विकिपीडिया'^{१४} के अनुसार — निर्धन परिवारों के अधिकांश बच्चे कुपोषित होते हैं^{१५}; जिस के परिणामस्वरूप, ऐसे बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं । सरकारों ने ऐसे बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु अनेक सहयोगात्मक योजनाएँ प्रभावी की हैं । इन योजनाओं से जहाँ बच्चों का शैक्षिक उत्थान होने की सम्भावना प्रबल हुई, वहीं इन योजनाओं से माता, पिता अथवा अविभावक की आर्थिक सहायता भी हुई है । परन्तु, प्रशासनिक और स्थानीय स्तर पर ये योजनाएँ प्रायः असफल हुई हैं ।
- **हस्त—कौशल पर बल** — शोधकर्ती श्रीमति मीना सक्सेना ने अपने शोध—प्रबन्ध की रूपरेखा "नगरीय परिवेश में कामगार बच्चों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन"^{१६} में नगरीय परिवेश में रहने वाले कामगार बच्चों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि निर्धन व्यक्तियों के बच्चे धनाभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । प्रायः निर्धन परिवार निर्धनता के कारण शिक्षा के प्रति अरुचि और हस्त—कौशल के प्रति द्विकाव प्रगट करते हैं । ऐसे माता, पिता अथवा अविभावक प्रायः अपने बच्चों को हस्त—कौशल के लिये प्रेरित करते हैं और साक्षरता प्राप्ति में व्यतीत होने वाले समय को 'दुर्घटयोग' की श्रेणी में रखते हैं । इस माध्यम से उस परिवार को बच्चे के द्वारा आर्थिक सहायता उस के बचपन से ही प्राप्त होने लगती है ।

भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित समस्याएँ —

- **जातियों में भेदभाव** — जुलाई १०, २०१८ को प्रकाशित दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी के संस्करण के पृष्ठ संख्या — १२ के शीर्षक "पोषाहार छूने पर छात्रा को स्कूल से निकाला"^{१८} के समाचार के अनुसार — एक 'कथित निम्न जाति' की छात्रा को पोषाहार छूने के दण्डस्वरूप विद्यालय से निकाल दिया गया । कथित उच्च जातियों के व्यक्तियों में कथित निम्न जातियों में भेदभाव और —अस्पृश्यता के भाव को दण्डनीय अपराध बताया गया है; परन्तु, दुर्भाग्यवश वर्तमान भारतीय समाज में इस के उन्मूलन की अनेक साम्बैधानिक धाराओं और उपधाराओं के विद्यमान होने पर भी जातियों में भेदभाव और अस्पृश्यता का भाव पाया जा रहा है । अस्पृश्यता की भावना के वशीभूत होने के कारण अनेक बार मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित करने की घटनाएँ भी समक्ष प्रायः उत्पन्न होती रहती हैं ।
- **धर्मों में भेदभाव** — जून २३, २०१५ को सरिता पत्रिका के सम्पादकीय में प्रकाशित "धार्मिक भेदभाव"^{१९} शीर्षक के अनुसार — भारत में अनेक धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं और उन की विभिन्न पूजा पद्धतियाँ विद्यमान हैं । इन पूजा पद्धतियों की भिन्नताओं के कारण उन के पालनकर्ताओं के मध्य वैमनस्यता और असहिष्णुता का भाव पाया जाता है । जिस के कारण इन धर्मों के अनुयायीयों के मध्य घृणा का भाव पाया जाता है । परिणामस्वरूप, इस घृणा के भाव से बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है ।
- **वर्गों में भेदभाव** — इलेक्ट्रॉनिक बेव साइट 'विकिपीडिया'^{१४} के अनुसार — भारत में वर्गभेद के कारण विभिन्न वर्गों के मध्य घृणा का भाव पाया जाता है; जिस के कारण वर्गों के विद्यार्थियों को अनेक सरकारी और स्थानीय सुविधाओं से वंचित रखा जाता है ।

विद्यार्थियों से होने वाला दुर्व्ववहार –

- **लैंगिक दुर्व्ववहार** – “महिला पुलिस वालिण्टर : एक पुस्तिका”^{१५} में लैंगिक दुर्व्ववहार के विरुद्ध साम्बैधानिक धाराओं का उल्लेख, स्त्रीलिंगी व्यक्तियों के प्रति होने वाले विभिन्न अपराधों को इंगित करता है। विद्यालयों में लैंगिक आधार पर विद्यार्थियों से दुर्व्ववहार की घटनाएँ प्रायः प्रकाश में आती रहती हैं। अधिकांशतः लैंगिक दुर्व्ववहार छात्राओं के प्रति अधिक होता है और छात्र भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम लैंगिक दुर्व्ववहार से प्रभावित होते रहते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से ‘सब के लिये शिक्षा’ के उद्देश्य पर कुठाराधात हो रहा है और शिक्षा को बीच में ही छोड़ने का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।
- **शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना** – “महिला पुलिस वालिण्टर : एक पुस्तिका”^{१५} में बालक और बालिका के प्रति होने वाले विभिन्न अपराधों को इंगित करता है। क्रोधवश होने के कारण अथवा स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के कारण विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने की घटनाएँ प्रायः समक्ष आती रहती हैं; जिस के कारण, माता-पिता या तो अपने बच्चे को किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश कराते हैं अथवा शिक्षा से उन का मोहभंग हो जाता है; जिस के कारण, शिक्षा को बीच में ही छोड़ने का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।
- **अध्यापक की विद्यालय में शिक्षण से अरुचि** – “ट्यूशन पढ़ाते पकड़ा गया सरकारी शिक्षक, क्लास में मिले ५० बच्चे”^{१६} शीर्षक के अन्तर्गत समाचार के आधार पर कहा जा सकता है कि अतिरिक्त धनार्जन की इच्छा के कारण प्रायः अध्यापक विद्यार्थियों को घर पर ‘ट्यूशन’ लेने के लिये बाध्य करते हैं और इस ही कारण वे विद्यालय में शिक्षणकार्य उचित ढंग से नहीं करते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले अभिभावक इस व्यवहार को प्रायः स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु निर्धन परिवारों के अभिभावक धनाभाव और घर पर ‘ट्यूशन’ की बाध्यता के कारण विद्यालय से अपने बच्चों का नामांकन निरस्त करा देते हैं। परिणामस्वरूप, निर्धन परिवारों के अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

शासकीय और प्रशासकीय कारण –

- **शिक्षा हेतु प्रतिविद्यार्थी अपर्याप्त छात्रवृत्ति** – जून २२, २०१७, दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण के पृष्ठ संख्या – ०६ पर प्रकाशित शीर्षक “मदरसा छात्रों के खातों में पहुँचेगा वजीफा”^{१०} के समाचार के अनुसार प्रशासनिक कर्तव्य विमुद्दता और भ्रष्टाचार के कारण पात्र ‘मदरसा’ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। निर्धन परिवारों के कुछ बच्चे बौद्धिक और शारीरिक रूप से शिक्षाप्राप्ति हेतु सक्षम तो होते हैं; परन्तु, धनाभाव के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और सरकारों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति इतनी नहीं होती है कि वे अपनी दैनिक शारीरिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। फलस्वरूप, ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
- **निर्धनता उन्मूलन** – निर्धनता उन्मूलन हेतु शासन की ओर से ‘प्रधान मन्त्री रोजगार योजना, १६६३’, ‘ग्रामीण रोजगार सृजन, १६६५’, ‘स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, १६६६’ इत्यादि अनेक योजनाएँ संचालित की गई थीं; परन्तु, राजनैतिक उदासीनता और सरकारी तन्त्र की उदासीनता तथा भ्रष्टाचार के कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। मनोज राय ने अपनी पुस्तक “भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया” (२०१४)^{१६} में पृष्ठ ०५ पर भ्रष्टाचार को वर्गीकृत किया है। इन्हीं के कारण निर्धनता उन्मूलन हेतु संचालित योजनाएँ प्रशासन की शिथिलता और भ्रष्टाचार के कारण निर्धन परिवार लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। प्रायः पाया जाता है कि अपात्र व्यक्ति इन योजनाओं से होते हैं। अतः, निर्धन परिवारों के बच्चे धनाभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

निष्कर्ष –

१. कुछ बच्चों और कुछ अविभावकों में शिक्षा के प्रति कुछ कारणों से अरुचि पायी जाती है ।
२. पारीवारिक निर्धनता के कारण बच्चों को भी श्रम करना पड़ता है, जिस के कारण ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और देश बौद्धिक सम्पदा की कमी से संघर्ष करता है ।
३. विद्यालय में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का दुरोपयोग होता है और बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है ।
४. प्रायः निर्धन परिवार हस्त-कौशल को अधिक महत्व देते हैं ।
५. विद्यालयों में लैंगिक दुर्व्यवहार और लैंगिक आधार पर विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार होता है ।
६. विद्यार्थियों से जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ।
७. निर्धनता उन्मूलन हेतु शासन की ओर से संचालित योजनाएँ प्रशासन की शिथिलता और भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो पाती हैं । फलतः, निर्धन परिवार उन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं और बच्चे धनाभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।
८. अस्पृश्यता की भावना के कारण बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है ।

उपसंहार तथा सुझाव –

कुछ बच्चों और अविभावकों में शिक्षा के प्रति अरुचि, पारीवारिक निर्धनता के कारण बच्चों द्वारा श्रम, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के दुरोपयोग, बच्चों के साथ लैंगिक और भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और देश बौद्धिक सम्पदा की कमी से ग्रसित हो रहा है । प्राप्त ज्ञातव्यों के आधार पर निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है –

१. पाठशाला न जाने वाले बच्चों और उन के अविभावकों की शिक्षा के प्रति अरुचि को समाप्त करने के लिये सरकारों को शिक्षा की महत्ता प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये । इन में 'इलेक्ट्रॉनिक और प्रिण्ट मीडिया' प्रभावी हो सकते हैं ।
२. विद्यार्थियों में शैक्षिक अभिरुचि जागृत करने और उसे प्रखर करने के लिये शिक्षकों और अविभावकों हेतु प्रेरणादायक कार्यक्रमों को संचार माध्यमों पर निरन्तर प्रचारित और प्रकाशित करना चाहिये ।
३. ज्ञात होने और सिद्ध होने पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करनी चाहिये जो 'अतिरिक्त शिक्षा' (Tuition) के लिये बच्चों को बाध्य करते हैं ।
४. बालश्रम के उन्मूलन हेतु निर्धन बच्चों के लिये सरकारों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति इतनी होनी चाहिये कि वे अपनी दैनिक शारीरिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।
५. विद्यालय में बच्चों के पौष्ण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का दुरोपयोग और भेदभावपूर्ण नीतियों को निरुद्ध करने हेतु कठोर प्रावधान प्रभावी करने चाहिये ।
६. सरकार को चाहिये कि वह ऐसी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी करे, जिस में हस्त-कौशल का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हो ।
७. सरकार को चाहिये कि वह लैंगिक दुर्व्यवहार और लैंगिक आधार पर विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दण्ड देने की नीति को सुदृढ़ करे ।
८. सरकार को चाहिये कि वह विद्यार्थियों से जाति, धर्म और वर्गादि के आधार पर भेदभाव का व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड देने की नीति को सुदृढ़ करे ।
९. सरकार को परिवारों की निर्धनता को समाप्त करने वाली और उन्हें स्वाबलम्बी बनाने वाली योजनाओं को प्रभावी करना चाहिये और उन से सम्बन्धित प्रशासन की शिथिलता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कठोर दण्ड देने की नीति को सुदृढ़ करना चाहिये ।
१०. सरकार को मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर दण्ड देने की नीति को सुदृढ़ करना चाहिये ।

सन्दर्भ

१. श्रीमति मीना सक्सेना ने अपने "नगरीय परिवेश में कामगार बच्चों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन", समाजशास्त्र विभाग, इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कॉलेज, चौथे चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र० (शोध-प्रबन्ध की रूपरेखा)
२. डा० मंसूरी मंजूर अहमद, "भारतीय लोकतन्त्र में सुशासन हेतु भ्रष्टाचार निवारण अपरिहार्य – एक विधिक अध्ययन", International Journal of Advanced Research ad Development, ISSN: 2455-4030, Volume 3, Issue 1, Page o. 402-404, January 2018
३. खान, इरशाद; "पहाड़ी कोरवा जनजाति में शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएँ (छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सन्दर्भ में)", शोध संचयन, ISSN: 2249-9180 (Online) ISSN: 0975-1254 (Print), भाग—४, अंक—१, १५ जनवरी २०१७
४. बस्सेल जेनिफ़र, "भ्रष्टाचार, प्रौद्योगिकी और सुधार : राज्यों का मिला—जुला दृष्टिकोण", रेल मन्त्रालय, भारत सरकार, ०७ मई २०१२ 'हिन्दी अनुवाद – विजय कुमार मलहोत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा)'०
५. "महिला पुलिस वालिण्टर:एक पुस्तिका", महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय और ग्रह मन्त्रालय, भारत सरकार, २०१६
६. राय, मनोज; "भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया", वालण्टरी एक्शन नेटवर्क इण्डिया, अक्टूबर २०१४ (हिन्दी अनुवाद डा० यश चौहान)

समाचार पत्र

७. "पढ़ने—लिखने की उम्र में बाल मजदूरी", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई १०, २०१८, पृष्ठ संख्या – ०७
८. "पोषाहार छूने पर छात्रा को स्कूल से निकाला", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई १०, २०१८, पृष्ठ संख्या – १२
९. "दहशत के साथे में पढ़ रहे बच्चे", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, अगस्त ०६, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०७
१०. "अभी नहीं बटीं ढाई लाख किताबें", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, अगस्त ०४, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०८
११. "बच्चे को पीटने पर स्कूल को नोटिस", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, अगस्त ०३, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०६
१२. "सात हजार विद्यालयों की नहीं बदल सकेगी तस्वीर", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, अगस्त ०२, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०६
१३. "हेलो ! आपके स्कूल में कितने बच्चे और अध्यापक हैं?", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, ०३, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०६
१४. "फैसले से नाराज शिक्षामित्रों ने भरी हुंकार", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई २७, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०७
१५. "नौनिहालों के अधिकार को भटक रहे अभिभावक", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई १६, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०८
१६. "दस साल से बिना अध्यापक के पढ़ाई", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई ०३, २०१७, पृष्ठ संख्या – ०७
१७. "बेटियों की तालीम और न्याय के लिये लड़ रही हैं 'रेशमा'", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जून १८, २०१७, पृष्ठ संख्या – १२

१८. "सब्जी में आलू कम—पानी ज्यादा, रोटी भी मिली कच्ची", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई ०४, २०१७, पृष्ठ संख्या — ०७
१९. "अब आधार कार्ड रोकेगा मिड—डे मील का फर्जीवाड़ा", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जुलाई ०४, २०१७, पृष्ठ संख्या — ०७
२०. "मदरसा छात्रों के खातों में पहुँचेगा वजीफा", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जून २२, २०१७, पृष्ठ संख्या — ०६
२१. "शिक्षकों पर भी होगा कड़ा एक्शन", दैनिक जागरण, मुरादाबाद सिटी संस्करण, जून २२, २०१७, पृष्ठ संख्या — ०६

'इलेक्ट्रॉनिक' समाचार पत्र

२२. "टयूशन पढ़ाते पकड़ा गया सरकारी शिक्षक, क्लास में मिले ५० बच्चे", Online Indore, August 01, 2015, 09:50:00 PM (IST)
२३. "धार्मिक भेदभाव", सरिता, सम्पादकीय, जून २३, २०१५

'इलेक्ट्रॉनिक बेव साइट'

२४. 'विकिपीडिया'

*Corresponding author.
E-mail address: ompalsinghmit@gmail.com / shreysinghsfc207@gmail.com